

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग - 3605-11-16

जि.पी.नाथ के निगरानी प्रकरण क्रमांक
17.10.16 को

- 3/2016

17.10.16

श्रीमती अवध रानी पत्नि बृजभान लोधी

989
17.10.16

ग्राम कलोथरा अब्बल

तहसील करैरा

989
जि.पी.नाथ के
17.10.16
शक्ति:

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश

---आवेदिका

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

कोरपुड
17.10
3.11.16

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , म०प्र०भू राजस्व संहिता,
1959 - श्रीमान तहसीलदार, तहसील करैरा जिला शिवपुरी
द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2014-15 अ-6-अ में पारित
आदेश दिनांक 10-10-14 के विरुद्ध)

कृ०पृ०३०-२

17/10

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3605 -दो/2016 निगरानी

जिला शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों तथा अभिभाषकों के |
|------------------------|--|-------------------------------|
| 20.10.16 | <p>यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 10-10-14 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारोश यह है कि पटवारी ग्राम कलोथरा ने तहसीलदार करैरा को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदक श्रीमती अवधरानी पत्नि बृजभान लोधी ने शासकीय भूमि स्थित ग्राम कलोथरा सर्वे क्रमांक 766 रकबा 1.00 हैक्टर के पट्टे/ व्यवस्थापन का अमल पटवारी अभिलेख में करा लिया , जिसका मिलान नहीं हो रहा है इसलिये जाँच करके इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। तहसीलदार करैरा ने प्रकरण क्रमांक 3/2014-15 अ-6-अ पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 10-10-2014 पारित करके अनावेदक क्रमांक 1 से 21 तक (जिनमें आवेदक अवधरानी पत्नि बृजभान लोधी सरल क्रमांक 20 पर है) के नाम की ग्राम कलोथरा की भूमि सर्वे क्रमांक 766/1 रकबा 1.00 हैक्टर को शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री जी०पी०नायक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>4/ शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की कि तहसीलदार का</p> | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्र0क0 3605 -दो/2016 निगरानी आदेश दिनांक 10-10-14 का है जिसके विरुद्ध निगरानी 17-10-16 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है इसलिये निगरानी समयवाह्य होने से निरस्त की जाय। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया है जिसमें वर्णित तथ्य सही है इसलिये विलम्ब क्षमा करते हुये मामले का निराकरण गुणदोष पर किया जाय।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के क्रम में तहसीलदार करैरा के आदेश दिनांक 10-10-14 के पैरा 2 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने यह आदेश आवेदक के विरुद्ध एकपक्षीय पारित किया है जिसके कारण अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभावना पर आधारित होने से क्षमा किये जाने योग्य है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से तथा खसरा पंचशाला वर्ष 1991-92 लगायत 1994-95 के कालम नंबर 14 की प्रविष्टि के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि खसरे में तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 270 अ-19/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 26-10-92 से आवेदक को तत्समय के सर्वे नंबर 766 के रकबे में से 1.00 हैक्टर भूमि का पट्टा प्रदान करने की प्रविष्टि है। दायरा रजिस्टर वर्ष 1991-92 की तहसील कार्यालय से जारी प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार दायरे के सरल क्रमांक 270 पर मद अ-19 में हुये प्रकरण के दायरे से भी पट्टे के प्रकरण का पुष्टिकरण होता है इसी निरन्तरता में खसरा वर्ष 2012-13 तक ग्राम कलोयरा की भूमि सर्वे नंबर 766/1 रकबा 1.00 हैक्टर पर आवेदक के नाम निरन्तर दर्ज चला आया है। दायरा रजिस्टर

R/14

AM

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3605 -दो/2016 निगरानी

जिला शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हित |
|------------------|---|--------------------------------|
| | <p>की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपियों से श्रीमती अवधरानी पत्नि बृजभान लोधी उक्त भूमि की भूमिस्वामी होकर कृषक है। तहसील द्वारा जारी खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपि के खण्डन पर अनावेदक के अभिभाषक मौन रहे हैं। ऐसा अभिभाषित है कि तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 3/2014-15 अ-6-अ में आदेश दिनांक 10-10-14 पारित करते समय उक्त अभिलेखों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-10-14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।</p> <p>6/ तहसील न्यायालय से आवेदक को जारी की गई खसरा पंचशाला वर्ष 1991-92 से खसरा वर्ष 2012-13 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि आवेदक का नाम वादोक्त भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है इन अभिलेखों की अनदेखी करते हुये आदेश दिनांक 10-10-14 पारित करते समय तहसीलदार करैरा की क्या शोच रही है अन्दाज लगाया जाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय लेकर आदेश दिनांक 10-10-14 से शासकीय दर्ज करना नियमानुकूल कार्यवाही नहीं मानी जा सकती है जिसके कारण तहसीलदार करैरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-10-14 आवेदक के हित तक स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।</p> <p>7/ खसरा पंचशाला वर्ष 1991-92 से खसरा वर्ष 2012-13</p> | |

R

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3605 -दो/2016 निगरानी

जिला शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह |
|------------------------|---|---------------------------------|
| | <p>का कोई कारण नहीं है और इन्हीं कारणों से तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्र0क0 3/2014-15 अ-6-अ में आदेश दि0 10-10-14 पारित करते समय मूल अभिलेख की अनदेखी करना प्रतीत हुआ है जिसके कारण तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-10-14 आवेदक के हित तक स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।</p> <p>7/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि वर्ष 1992 में भूमि पट्टे पर प्राप्त करने के उपरांत कब्जा प्राप्ति के बाद से आवेदक ने वादग्रस्त भूमि को उबड़-खाबड़ से समतल बनाया है जिसमें काफी मेहनत की गई है। सिंचाई साधन बनाने में बहुत सारा धन खर्च किया है, यदि वर्ष 1992 में दी गई भूमि उनसे वर्ष 2016 में (24 वर्ष बाद) वापिस ली जाती है तब आवेदक को परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदक पिछड़े वर्ग की जाति की होकर महिला कास्तकार है। यदि आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रकियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। 2. देवी प्रसाद विरुद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटित को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। | |

R
M


Om


- 6 -

प्र०क० 3605 -दो/2016 निगरानी

विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2014-15 अ-6-अ में आदेश दिनांक 10-10-14 पारित करते समय आवेदक को सुनवाई हेतु आहुत नहीं किया है एवं अभिलेख प्रस्तुत करने/बचाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त भूमि शासकीय अंकित करने की त्रुटि की है जिसके कारण आवेदक को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 10-10-14 त्रुटिपूर्ण होने से केवल आवेदक के हित तक के भाग को निरस्त करते हुये शेष भाग को यथावत् रखा जाता है तथा तहसीलदार करैरा को आदेश दिये जाते हैं कि शासकीय अंकित कर दी गई ग्राम कलोथरा की भूमि सर्वे क्रमांक 766/1 रकबा 1.00 हैक्टर पर चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में आवेदक अवधरानी पत्नि बृजभान लोधी के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में अंकित करावें।




सदस्य